कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा, जिला कबीरधाम

ज्ञापन

कवर्धा, दिनांक 14.09.2023

क्रमांक/ 2506 /रीडर-02/अ.वि.अ./2023

प्रति,

श्रीमती भगवती धुर्वे,
सरपंच ग्राम पंचायत डबराभाठ
जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़

द्वारा :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कवर्धा, जिला कबीरधाम। तामिल उपरांत अभिस्वीकृति सुनवाई तिथि के एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करें।

विषय:- ग्राम पंचायत डबराभाठ में शासन द्वारा स्वीकृत विभिन्न विकास कार्य/रोजगार मूलक कार्यो के संबंध में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने बाबत्।

...0...

आरोप पत्र :-

1. जनपद पंचायत कवर्धा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत डबराभाठ में विभिन्न विकास कार्यो को वित्तीय वर्षो में शासन द्वारा स्वीकृत किये गये है, जिसकी अद्यतन स्थिति या तो पूर्ण नही है अथवा अप्रारम्भ है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कवर्धा का पत्र क्रमांक/3889/ज.प./2023 कवर्धा, दिनांक 01.09.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत डबराभाठ जनपद पंचायत कवर्धा के विभिन्न मदों अन्तर्गत निर्माण कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका निरीक्षण दिनांक 31.08.2023 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कवर्धा एवं प्र. कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी ग्रा.या. सेवा जिला कबीरधाम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत डबराभाठ को स्वीकृत निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश उपरांत भी 08 कार्यो लम्बी अवधी से अप्रारंभ/अपूर्ण है। निर्माण कार्यो को समयावधि में पूर्ण नहीं कराया जाना, गोधन न्याय योजना एवं अन्य विकास कार्यो का लाभ ग्रामीणजनों को नहीं मिलना।, ग्राम का विकास/निर्माण कार्यो में विलम्ब करने, विभिन्न विकास व रोजगार मूलक कार्य पूर्ण नहीं होने अथवा अप्रारंभ होने से ग्राम पंचायत डबराभाठ की वस्तुस्थिति गंभीर है।

इनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का नाम	मद का नाम	स्वीकृत राशि लाख में	ग्राम	भौतिक स्थिति
1	सेग्रीगेशन शेड निर्माण	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम	6.50	डबराभाठ	शेड कार्य शेष (02 साल बंद)
2	समुदायिक भवन निर्माण	छ.ग. विकास प्रा.धि	6.50	डबराभाठ	शेड कार्य शेष (3 माह से बंद)
3	शौचालय निर्माण कार्य	एस.बी.एम	3.50	डबराभाठ	बेसिग कार्य (01 साल बंद)

Scanned with CamScanner

[illegible]	गौठान विकास कार्य	मनरेगा	1.34	डबराभाठ	मेड कार्य शेष (01 माल बंद)
5	तालाब गहरी करण एवं पचरी निर्माण कार्य पुराना तालाब	मनरेगा	9.89	डबराभाठ	पचरी कार्य प्रगति
6	पक्की नाली निर्माण कार्य भुलउ के घर से स्वरूप के घर तक	मनरेगा	4.89	पुकसा	60 मी पूर्ण
7	पुराना तालाब गहरी कार्य पुकसा मे	मनरेगा	5.20	पुकसा	अप्रारंभ
8	तलाब गहरी करण कार्य पैंदू तालाब	मनरेगा	9.88	डबराभाठ	अप्रारंभ

2/ छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 6–55/प्र.ग्रा.वि.वि/2013 रायपुर, दिनांक 26.08.2015 द्वारा जारी निर्देश अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे व्यक्ति/परिवारों की पहचना करना जिनकी जाति तथा मूल निवास के संबंध में लोक/निजी दस्तावेज मे साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पाते है के संबंध में ऐसे परिवारों/व्यक्तियों की पहचान राज्य के सभी ग्रामोंमें आयोजित होने वाली सामान्य/विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से विहित प्राकिया अनुसार किये जाने निर्देश जारी किये है।

अतः उक्त पर आवेदक अजय भट्ट पिता जीवन भट्ट, ग्राम डबराभाठ, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम एवं कुमकुम भट्ट पिता संजय भट्ट ग्राम डबराभाठ, तहसील कवर्धा, जिला कबीरधाम के पास जाति प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज नहीं होने पर आपके द्वारा 25.08.2023 का ग्राम सभा प्रस्ताव जारी किया गया है जिसके प्रारूप दो (जाति एवं मूल निवास के संबंध में उद्घोषणा), प्रारूप तीन (जाति एवं मूल निवास के संबंध मे ग्रामसभा के द्वारा उद्घोषित ग्रामनिवासी व्यक्तियों/परिवारों की सूची) प्रपत्र में अंकित समस्त कॉलम रिक्त है किन्तु आपके द्वारा उक्त दोनो परिपत्रों को अपने हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा के साथ सत्यापित कर जारी किये है। उक्तानुसार आपका कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

उक्तानुसार प्राप्त जांच प्रतिवेदन से प्रदर्शित होता हैं की राशि का समयबद्ध उपयोग न करना, रोजगार मूलक कार्यो एवं विकास कार्यो का पूर्ण न करना, शासकीय नियमों की अनदेखी करना पदीय दायित्वो का निर्वन न करना परिलक्षित होता है। अतः उक्तानुसार जांच प्रतिवेदन में लेखित जानकारी अनुसार उक्त आरोप पत्र के बिन्दुकम मे अपना जवाब पत्र प्राप्ति के आगामी तिथि 20.09.2023 में प्रस्तुत करें।

संलग्न :– जांच प्रतिवेदन।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
कवर्धा

Scanned with CamScanner